[राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2021 को पारित रूप में]

2021 का अधिनियम संख्यांक 20-सी

[दि इंश्यूरेंस (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

बीमा (संशोधन) विधेयक, 2021

बीमा अधिनियम, 1938 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बीमा (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1938 का 4

2. बीमा अधिनियम, 1938 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (7क) के उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) जिसमें विदेशी विनिधानकर्ताओं द्वारा धृत साम्य शेयरों का योग जिसके अंतर्गत पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता हैं, ऐसी भारतीय बीमा कंपनी की समादत्त साम्य पूंजी के चौहत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होता है और उसमें विदेशी विनिधान ऐसी शर्तों और रीति के अधीन रहते हुए होगा, जो विहित की जाए ;"।

धारा 27 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (7) के स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा ।

धारा 114 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (2) के खंड (ककक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ककक) धारा (2) के खंड (7क) के उपखंड (ख) के अधीन विदेशी विनिधान की शर्तें और रीति ;"।

MGIPMRND—1695RS(CRC)—18-3-2021.